न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारीः श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 103/2017 ::

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
भंवरू खॉ पुत्र चांद खॉ जाति मुगल मुसलमान, निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)		1. अयुब खॉ पुत्र चांद खॉ जाति मुगल मुसलमान निवासी चामुण्डा कॉलोनी, घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत घाणेराव जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हरजीराम उपस्थित

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से दीपाराम परमार उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :-- 20-2-19

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध अप्रार्थीगण ग्राम पंचायत घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली द्वारा मिसल संख्या 111/2004—05 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2009 प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 06.08.2009 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4253 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत घाणेराव का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त बहस उभयपक्ष की समायत की गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा प्रार्थी के पक्ष में आबादी भूमि का निःशुल्क विक्रय विलेख संख्या 25 दिनांक 23.05.1982 को जारी किया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा 1984 में मकान निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तथा वर्ष 1987 तक निर्माण कार्य पुरा हुआ, जिस पर प्रार्थी द्वारा हजारों रूपये व्यय किए गए। प्रार्थी राजकीय सेवा में मारवाड़ जंक्शन पद स्थापित होने के कारण रख रखाव के उद्देश्य से अपना मकान अपने छोटे भाई श्री अयुब खॉ पुत्र चांद खॉ को वर्ष 1992 में दिया। जिसका कभी किराया नहीं लिया। अप्रार्थी ने उक्त अवधि में अप्रार्थी संख्या 2 से सांठ—गांठ कर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी पुश्तैनी भूमि बताकर प्रार्थी के जैर निगरानी पट्टा सुद मकान का पट्टा अपने नाम बनवा दिया है। प्रार्थी की पट्टा सुदा आराजी जिसका पूर्व में पट्टा संख्या 25 दिनांक 23.05.1982 को बना है, उसी आराजी का दुबारा दूसरा पट्टा संख्या 4253 बनवा दिया। नियमानुसार एक पट्टे के रहते उसे बिना किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना उसी आराजी का दूसरा पट्टा नहीं बनाया जा सकता है। जैर निगरानी पट्टा भी प्रार्थी को पट्टा सुदा आराजी को बिना सक्षम न्यायालय से निरस्त करावे। पट्टे पर पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है। जो दोनों पट्टों में उल्लेखित आराजी में अंकित पड़ौस समान होने से स्पष्ट है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा विधी विरूद्ध जारी किए जाने से निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा पंचायत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जैर निगरानी आराजी को पुश्तैनी होने का अंकन नहीं किया, फिर भी पुश्तैनी होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र के अधिकांश बिन्दु रिक्त है, भरे ही नहीं गए है। ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा प्रार्थी के पुश्तैनी पट्टा सुदा मकान को अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी बताकर अप्रार्थी संख्या 1 अयुब खॉ के नाम जो पट्टा संख्या 4253 जारी किया, जो विधी विरूद्ध जारी किया गया है। उसे निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व उसके मध्य दिनांक 21.05.1997 को पारिवारिक समझौता लिखित में हुआ था, जिसके अनुसार ही जैर निगरानी भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 को देना स्वीकार किया गया था, जो तत्समय मात्र भूखण्ड ही था, जिसपर तमाम निर्माण कार्य अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही अपने निजी खर्चे से कराया है तथा उससे हिस्से में उक्त भूखण्ड आने से ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। जो विधी सम्मत है तथा इसकी ताईद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य हुए पारिवारिक बंटवाड़े की पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रति से स्पष्ट है। प्रार्थी का रहवास जैर निगरानी आराजी पर 1997 से लगातार है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है। वह विधी सम्मत होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पंचायत रेकर्ड का अवलोकन किया गया। दोनों पक्ष जैर निगरानी आराजी को अपना बता रहे है, लेकिन वकील अप्रार्थी द्वारा फहरिस्त के साथ वक्त बहस प्रस्तुत दस्तावेजों में एक पारिवारिक लिखित दस्तावेज की फोटोप्रति चांद खॉ पुत्र इस्माईल खॉ जो भवरू खॉ एवं अयूब खॉ के पिता द्वारा निस्पादित किया गया तथा नोटेरी से तस्दीक किया हुआ है। जिसके अनुसार मुसलमानों के बास घाणेराव में चांद खॉ के दो प्लॉट चामुण्डा माता मन्दिर के पास स्थित है। एक प्लॉट 70 X 37 भवंरू खॉ के नाम व 30 X 45 अयूब खॉ के नाम ग्राम पंचायत घाणेराव से लिया जाना बताया है। उनमें से 30 X 45 फुट का प्लॉट भंवरू खॉ को एवं रहने लायक प्लॉट चामुण्डा माता के मन्दिर के पास 73 X 37 फुट जिसमें अयुब खॉ ने मकान बना दिया है ; वह उसी के पास रहेगा तथा इसी अनुरूप उनका हक अधिकार रहेगा तथा पट्टा भी बनवा सकेगें। एक रहवासी अन्य मकान में चांद खॉ जो दोनों का पिता है, उसके पास रहेगा। जो उसकी निजी मल्कियत का होगा। उक्त लिखित उनके पिता चांद खॉ द्वारा वर्ष 1996 में किया गया, जिस पर चांद खॉ व अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर है। इसी क्रद का एक अन्य पारिवारिक समझौता चांद खॉ के दोनों पुत्र प्रार्थी भंवरू खॉ व अप्रार्थी अयुब खॉ के मध्य भी दिनांक 18.04.1997 को किया गया, वह भी नोटेरी से सत्यापित है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रथम पक्षकार भंवरू खॉ उसके नाम के पट्टे के प्लॉट पर द्वितीय पक्षकार ने अपने खर्चे से मकान बनवा कर परिवार सहित रह रहे है। जो अब प्रथम पक्षकार का नहीं रहा। उक्त पट्टे का स्वत्व का इन्द्राज द्वितीय पक्षकार अपने नाम करवा देगा तथा प्रथम पक्षकार के बयानों की आवश्कता होने पर वह बयान देगा एवं वह उपस्थित न हो तो इस लिखित के जरिए स्वत्व का इन्द्राज करवा देगा। जिससे किसी को एतराज नहीं होगा। इसी प्रकार द्वितीय पक्षकार की सहमति से उसके नाम पट्टे के प्लॉट पर प्रथम पक्षकार भंवरू खॉ काबिज होने से उसके हक में उक्त प्लॉट रखने व पट्टे का स्वत्व का इन्द्राज कराने का उल्लेख किया गया है। उक्त लिखित पर दोनों पक्षों के साथ साक्षीगण के भी हस्ताक्षर है। लिखित अनुसार पेज नम्बर 2 में अंकन है कि दोनों पक्ष प्लॉटो की अदला–बदली कर काबिज हो गए है। एसी स्थिति में सन् 1996–97 में उभयपक्ष अपने पिता की सहमति से लिखित पारिवारिक समझौते अनुसार मकान निर्माण कर उनमें उसी समय से रहते आ रहे है एवं इन सभी तथ्यों की जानकारी है, तो उसके 22 वर्षो पश्चात पट्टे के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का कोई न्यायोचित कारण प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है तथा स्वच्छ मन से न्याय प्राप्ती हेतु उपस्थित नहीं हुए है। इस प्रकरण में हक अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार का विवाद है तो उसे संबंधित अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थी सिविल न्यायालय में बाद प्रस्तुत कर सकता है। पारिवारिक समझौते के अनुसार ग्राम पंचायत में संबंधित पक्षकारों द्वारा अपने हक व कब्जा अनुसार स्वत्व का इन्द्राज करवाया है। उसे विधी विरूद्ध कृत्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है एंव ग्राम पंचायत घाणेराव की मिसल संख्या 111/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2009 तथा संकल्प संख्या 12 दिनांक 06.08.2009 की पालना में जारी पट्टा संख्या 4253 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत घाणेराव को प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/2/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द्र जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर
पाली (राज.)
20/2/19

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)